

पत्रांक...180.....

कार्यालय अग्निशामालय पदाधिकारी, बोधगया।

दिनांक...07.06.2024

सेवा में,

प्रबंधक

DAV PUBLIC SCHOOL CANTT. AREA GAYA

विषय :- DAV PUBLIC SCHOOL CANTT. AREA GAYA में संस्थापित अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा यंत्रों के अंकेक्षण प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में DAV PUBLIC SCHOOL CANTT. AREA GAYA जिला गया को बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम 2014, बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021, राष्ट्रीय श्वन संहिता 2005 एवं राष्ट्रीय श्वन संहिता 2016 (भाग-4) के अनुसार DAV PUBLIC SCHOOL CANTT. AREA GAYA में संस्थापित अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा यंत्रों के अंकेक्षण किया गया। अंकेक्षण प्रतिवेदन में दिए गए परामर्श/सुझाव का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

परामर्श/सुझाव :- DAV PUBLIC SCHOOL CANTT. AREA GAYA जिला गया में संस्थापित अग्निशमन यंत्रों/अग्नि सुरक्षा उपायों को क्रियाशील अवस्था में रखने की जिम्मेवारी स्वामी/संचालन की है। अन्यथा बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम 2014 की धारा- 37,44 तथा बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 के नियम- 22 (ख)(ग)(घ)(छ)(ज)(झ)(ञ) के अंतर्गत तथा बिहार भवन उपविधि, 2014 की उपावधि- 16(7) के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाई की जा सकती है।

अनु० :- प्रपत्र (श)

विश्वासभाजन

मजुमदार

07/06/2024

अग्निशामालय पदाधिकारी

बोधगया।

अग्नि अंकेक्षण के चेक बिन्दु एवं अग्नि अंकेक्षण के बाद अग्नि सुरक्षा उपायों से संबंधित वांछित कार्रवाई हेतु नोटिस।

(बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा-33 एवं 43(2)(3) के अधीन  
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 22(ख)(ग)(घ)(छ)(ज)(झ)(ञ) के अन्तर्गत)

1. भवन का नाम/पता/पहचान हेतु कोई खास चिन्हित भवन :- DAV Public School Cantt. Area, Gaya
2. भवन का निर्माण वर्ष :- 2020
3. अनापत्ति प्रमाण पत्र (औपबंधिक/अंतिम/नवीनीकरण वर्ष) :- नहीं।
4. विगत अग्नि अंकेक्षण तिथि :- 22.05.2023
5. भवन अधिभोग का प्रकार :- शैक्षणिक संस्थान।
6. उप कब्जे (Sub-occupancy) के प्रकार :- शैक्षणिक संस्थान।
7. जमीन के स्तर से भवन की ऊँचाई (मीटर में) :- Block A -15 मीटर, Block B -16 मीटर, Block C -12 मीटर, Block D -12 मीटर, Block E -12 मीटर।
8. भवन के परिवेश में निर्माण की ऊँचाई :- खुला स्थान।
9. विजली लाईन्स से भवन की दूरी (खड़ा एवं क्षैतिज दूरी मीटर में) :- Block A -13 मीटर, Block B -61 मीटर, Block C -61 मीटर, Block D -61 मीटर, Block E -06 मीटर।
10. भवन का आच्छादित क्षेत्र (वर्ग मीटर में) :-  $Block A+B+C+D+E = 1840+3671+2113+2002+1680 = 11306$  वर्गमीटर।  
(तलघर और स्टील सहित सभी मंजिलों का)
11. मंजिलों की संख्या :- Block A= G+3, Block B= G+3, Block C= G+2, Block D= G+2, Block E= G+2
12. तलघर की संख्या :- 00
13. स्टील/भूतल की संख्या :- 01
14. ब्लॉक की संख्या :- 05 (A,B,C,D,E)
15. प्रति मंजिल औसत प्रमासी भार :- 3180 विद्यार्थी।
16. मंजिलवार (क्षेत्रफल/अधिवासियों की संख्या):- Block A, G= 460 वर्गमी/200 विद्यार्थी, G+1= 460 वर्गमी/200 विद्यार्थी, G+2= 460 वर्गमी/200 विद्यार्थी, G+3= 460 वर्गमी/200 विद्यार्थी। Block B, G= 917.75 वर्गमी/200 विद्यार्थी, G+1= 917.75 वर्गमी/200 विद्यार्थी, G+2= 917.75 वर्गमी/200 विद्यार्थी, G+3= 917.75 वर्गमी/200 विद्यार्थी। Block C, G= 528.25 वर्गमी/100 विद्यार्थी, G+1= 528.25 वर्गमी/100 विद्यार्थी, G+2= 528.25 वर्गमी/70 विद्यार्थी। Block D, G= 667.33 वर्गमी/250 विद्यार्थी, G+1= 667.33 वर्गमी/250 विद्यार्थी, G+2= 667.33 वर्गमी/250 विद्यार्थी। Block E, G= 560 वर्गमी/200 विद्यार्थी, G+1= 560 वर्गमी/180 विद्यार्थी, G+2= 560 वर्गमी/160 विद्यार्थी।
17. पहुँच सड़क/स्ट्रीट (नाम एवं चौड़ाई) :- पटना गया डोमी रोड, 60 फीट।  
(पहुँच सड़क की चौड़ाई न्यूनतम 12 फीट/20 फीट होनी चाहिए)
18. क्या यह कठिन सतह का और वाहन चालन योग्य है? - हाँ।
19. क्या मृत अंत (Dead end) में समाप्त हो रहा है? - नहीं।
20. पहुँच/खुले स्थान और ब्लॉक के आगे और अन्य 3 तरफ सेट बैंक की चौड़ाई :- Block A= 30-22 फीट, द0- 04फीट, पू0- 20 फीट। Block B = 30- 04फीट, द0-04फीट, प0- 20फीट। Block C = द0-04फीट, प0- स्कूल मैदान, पू0 - 10फीट। Block D = प0- 10 फीट, द0- स्कूल मैदान, पू0 - 08फीट। Block E = द0- स्कूल मैदान, उ0- 10 फीट, पू0- 10 फीट।
21. भवन के चारों ओर तथा भवन के कोण पर घुमने के लिए वाहन का पहुँच :- Block A में तीन तरफ से एवं Block B, Block C, Block D में दो तरफ से अग्निशमन वाहन भवन के समीप तक जा सकती है।
22. क्या अग्निशमन वाहनों के आसानी से प्रवेश और निकास सुनिश्चित करने के लिए मुख्य प्रवेश द्वार और निकास द्वार की न्यूनतम चौड़ाई एवं ऊँचाई है? :- अग्निशामक वाहन आसानी से प्रवेश एवं निकास कर सकती है।
23. कार पार्किंग (स्थल एवं वाहनों की संख्या):- खुले स्थान में 75 वाहन, (सभी ब्लॉक में)
24. खुले स्थान में प्रोजेक्शन (भवन से चारों तरफ दूरी) :- Block B= लं0- 47 फीट, चौ0- 29 फीट।
25. प्रवेश द्वार की संख्या :- Block A= 02, Block B= 03, Block C= 02, Block D= 03, Block E= 02
26. निकास द्वार की संख्या :- Block A= 02, Block B= 03, Block C= 02, Block D= 03, Block E= 02
27. प्रवेश/निकास द्वार में सिर के तरफ खुला स्थान :- हाँ।
28. आंतरिक सीढ़ी (संख्या/ट्रीडस की चौड़ाई/राईजर की ऊँचाई एवं संख्या/हैण्ड रेल की ऊँचाई) :- Block A= 01/5.6इंच/2.6 फीट। Block B= 02/5.6इंच/2.6 फीट। Block C= 01/5.6इंच/3 फीट। Block D= 01/5.6इंच/2.6 फीट। Block E= नहीं।
29. बाहरी सीढ़ी (संख्या/ट्रीडस की चौड़ाई/राईजर की ऊँचाई एवं संख्या/हैण्ड रेल की ऊँचाई) :- Block E= 01/5.6इंच/3.6फीट।
30. यात्रा दूरी (सबसे दूर के स्थान से दूरी/गलिवारे के मुड़े हुए अंत से सीढ़ियों तक की दूरी) :- Block A- 43 फीट, Block B- 22 फीट, Block C- 22 फीट, Block D- 82 फीट, Block E- 55 फीट।
31. रैम्प (संख्या/चौड़ाई/स्टीप) :- नहीं।
32. यात्री लिफ्ट की संख्या :- नहीं।
33. सेवा लिफ्ट की संख्या :- नहीं।



34. फायर लिफ्ट की संख्या :- नहीं।
35. शरण क्षेत्र (किस मंजिल पर/क्षेत्रफल) :- नहीं।
36. फायर टॉवर (किस मंजिल पर/क्षेत्रफल) :- नहीं।
37. बंद उर्ध्वाधर खुला स्थान :- नहीं।
38. कोरिडोर और मार्ग (वांछित चौड़ाई के अनुसार/रास्ता बाधित नहीं) :- नहीं।
39. सैतिज निकास की स्थिति :- नहीं।
40. निकासी हेतु रौशनीकरण निकासी संकेत :- है।
41. तलघर में छत दूरी/जाने का रास्ता/वेन्टलेशन/इत्यादि :- नहीं।
42. फायर रेटिंग संबंधी कागजात :- नहीं।
43. कम्पार्टमेन्टलाइजेशन :- नहीं।
44. धुओं निकासी व्यवस्था :- नहीं।
45. विद्युत अधिष्ठापन :- 03 फेज।
46. सब-स्टेशन/ट्रांसफॉर्मर :- निजी ट्रांसफॉर्मर।
47. बिजली आपूर्ति के बैकल्पिक श्रोत :- जनरेटर एवं इन्वर्टर।
48. एयर कंडीशनिंग सिस्टम :- है।
49. आसमानी बिजली से संरक्षण के प्रावधान :- है।
50. न्यूनतम फिक्सड फायर फाइटिंग अधिष्ठापन (NBC-2016 का भाग-4 का तालिका-7 के अनुसार) :- मानक के कम।
51. स्वचालित जॉच और अलार्म सिस्टम (धूम्र संसूचक, हीट डिटेक्टर, बीम डिटेक्टर, मंजिल में अग्नि संसूचक नियंत्रण पैनल) :- स्मोक डिटेक्टर एवं फायर अलार्म है।
52. स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम :- नहीं।
53. नली रील :- हाँ।
54. वेट राईजर्स :- नहीं।
55. सूखी राईजर्स :- नहीं।
56. डाउन कमर :- है।
57. यार्ड हाइड्रेंट :- नहीं।
58. भूमिगत स्टैटिक जल टैंक (संख्या/कुल क्षमता लीटर) :- नहीं।
59. छत टैंक (संख्या/कुल क्षमता लीटर) :- Block A= 10000 लीटर, Block B= 10000 लीटर, Block C= 8000 लीटर, Block D= 8000 लीटर, Block E= 8000 लीटर।
60. पम्पों की विवरणी- इलेक्ट्रीक मुख्य पम्प/स्टैंडबाय डीजल पम्प/छिड़काव प्रणाली के लिए विद्युत पम्प/बूस्टर पम्प (संख्या एवं क्षमता प्रति मिनट) :- इलेक्ट्रीक मुख्य पम्प।
61. पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र (प्रत्येक प्रकार की संख्या/क्षमता/गुड़वता/मैंक/क्रमांक/ एक्सप्लोसिव नं०/विनिर्माण का वर्ष/खरीद वर्ष/आईएस आई का मार्क/रिफिलिंग की तिथि) :- Block A= ABC type 04 kg= 08 अदद, ABC type 02 kg= 01 अदद, Co2- 4.5 kg= 02pc, Block B= ABC type 04 kg= 08 अदद, Co2, 4.5 kg= 02pc. Block C= ABC type 06 kg= 06 अदद, ABC type 02 kg= 02 अदद Co2, 2kg= 02pc. Block D= ABC type 04 kg= 06 अदद, Co2, 2kg= 01pc., Co2, 4.5kg= 01pc. Block E= ABC type 04 kg= 03 अदद, Co2, 2kg= 01 pcs. Co2, 4.5kg=01 pc.
62. अग्नि नियंत्रण कक्ष :- नहीं।
63. फायर ड्रिल और फायर ऑर्डर (भवन खाली करने की आपातकालीन योजना सहित) :- नहीं।
64. अग्नि सुरक्षा अधिकारी :- नहीं।
65. अन्य विन्दु -प्रपत्र- ग/झ के आधार पर शामिल किया जा सकता है।

निर्देश/सुझाव दिया जाता है कि:-

1. दिनांक- 07.06.2024 को DAV Public School Cantt. Area, Gaya का अग्नि अंकेक्षण किया गया।
2. पोर्टेबल अग्निशामन यंत्रों का संधारण IS 15683/2006 के अनुरूप करेंगे एवं ससमय रिफिलिंग करवाना सुनिश्चित करेंगे।
3. अर्धवार्षिक अग्नि सुरक्षा मॉकड्रिल करवाना आवश्यक है।
4. विद्युत भार की जाँच सक्षम प्राधिकार से समय-समय पर करवाना आवश्यक है ताकि शॉर्ट सर्किट जैसी अग्नि दुर्घटना से बचा जा सके।
5. विहार अग्निशामन सेवा नियमावली 2021 के अनुसार शुल्क (कुल क्षेत्रफल- 11306 वर्गमीटर) 33918 रुपये का बैंक ड्राफ्ट जो DIRECTOR STATE FIRE SERVICE, PATNA BIHAR के नामित हो कार्यालय में जमा करें एवं त्रुटियों का निराकरण दो सप्ताह में पूर्ण कर अद्योहस्ताक्षरी को सूचित करें।
6. संबंधित प्रतिष्ठान का अग्नि अंकेक्षण किया गया, जिसमें अग्निशामन यंत्र एवं उपकरण क्रियाशील अवस्था में पाया गया। इन्हें अग्नि अंकेक्षण प्रमाण पत्र दिया जा सकता है।